R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2009-11

मासिक शुल्क : 1 रुपया मात्र

खण्ड VI ◆ अंक 4
अक्तूबर 2009

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

अल्पावधि फसल ऋण हेतु ब्याज की आर्थिक सहायता योजना

माननीय वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2009-10 के लिए अपने बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसरण में किसानों को उपलब्ध कराए गए 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि उत्पादन ऋण के संबंध में सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों को 2 प्रतिशत ब्याज की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। आर्थिक सहायता की इस राशि की गणना फसल ऋण की राशि पर उसके संवितरण / आहरण की तारीख से भुगतान की तारीख तक अथवा उस तारीख तक जिसके बाद बकाया ऋण क्रमशः अतिदेय हो जाता है, अर्थात खरीफ के लिए 31 मार्च 2010 तथा रबी के लिए 30 जून 2010, जो भी पहले हो, की जाएगी बशर्ते इसकी अधिकतम अवधि एक वर्ष हो। यह आर्थिक सहायता सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों को इस शर्त पर उपलब्ध कराई जाएगी कि वे आधार स्तर पर अल्पावधि ऋण 7 प्रतिशत वार्षिक की दर से उपलब्ध कराएँ।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया गया है कि वे खरीफ तथा रबी 2009-10 (अलग-अलग) के लिए किसानों को 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि उत्पादन ऋण का अनुमान रिज़र्व बैंक को तुरन्त भेजें ताकि वह आर्थिक सहायता की संभावित राशि का अनुमान सरकार को भेज सकें। अनुमान वास्तविक स्वरूप का होना चाहिए।

रिज़र्व बैंक ने आगे यह भी सूचित किया है कि -

(i) आर्थिक सहायता प्रदान करने में सरकार की सहुलियत के लिए बैंकों को 30 सितंबर 2009 और 31 मार्च 2010 की छमाही तथा 30 जून 2010 (रबी के लिए) के त्रैमासिक दावे संबंधित तारीखों से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने चाहिए।

(ii) 31 मार्च 2010 को समाप्त छमाही तथा 30 जून 2010 को समाप्त तिमाही (रबी के लिए) के दावों के साथ सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र संलग्न होना चाहिए जिसमें 31 मार्च 2010 को समाप्त संपूर्ण वर्ष तथा 30 जून 2010 को समाप्त तिमाही (जैसा भी मामला हो) के लिए आर्थिक सहायता के दावों की राशि को सत्य और सही प्रमाणित किया गया हो। दावों का अंतिम निपटान इस प्रमाणपत्र के प्राप्त होने पर ही किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त सरकार उन तत्काल भुगतान करनेवाले किसानों के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्रति वर्ष 1 प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज अनुदान उपलब्ध कराएगी जो ऐसे ऋणों के संवितरण के एक वर्ष के भीतर अपने अल्पावधि उत्पादन ऋण की चुकौती करते हैं। यह अतिरिक्त अनुदान ऐसे किसानों को उनके द्वारा वर्ष के दौरान 3 लाख रुपए की अधिकतम राशि के लिए प्राप्त अल्पावधि उत्पादन ऋण पर उपलब्ध होगी और अनुदान राशि की गणना प्रति किसान खाते के लिए अधिकतम एक वर्ष की अवधि के अधीन संवितरण/चुकौती की तारीख तक आहरण की तारीख से की जाएगी। यह अनुदान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को इस शर्त पर उपलब्ध होगा कि तत्काल भुगतान करनेवाले किसानों को प्रभारित प्रभावी ब्याज दर 3 लाख रुपए तक प्रति वर्ष 6 प्रतिशत हो।

तदनुसार, यह सूचित किया जाता है कि -

(i) अनुदान उपलब्ध कराने के लिए सरकार को समर्थ बनाने हेतु बैंक, किसान के खाते में अतिरिक्त एक प्रतिशत अनुदान तभी जमा करेंगे जब किसान तत्परता के साथ अल्पावधि उत्पादन ऋण की चुकौती करता है और उसके बाद प्रतिपूर्ति की माँग करते हैं। बैंक वर्ष 2009-10 के लिए खरीफ और रबी दोनों संवितरण से संबंधित दावों को शामिल करते हुए संपूर्ण वर्ष के लिए एकबारगी समेकित दावे अधिक-से-अधिक 31 जुलाई 2010 तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

(ii) दावों के साथ सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र संलग्न होना चाहिए जिसमें 31 मार्च 2010 को समाप्त संपूर्ण वर्ष के लिए आर्थिक सहायता के दावों की राशि को सत्य और सही प्रमाणित किया गया हो।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों के मामले में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा अलग से परिपत्र जारी किया जाएगा।

विषय सूची

नीति	पृष्ठ
अल्पावधि फसल ऋण हेतु ब्याज की आर्थिक सहायता योजना	1
रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दरें	2
अनर्जक आस्ति स्तरों की संगणना	2
फेमा	
सेवा आयातकों की ओर से बैंक गारंटी जारी करना	2
शहरी सहकारी बैंक	
स्वामित्व प्रतिष्ठान के खाते - अपने ग्राहक को जानिए दिशानिर्देश - बहुस्तरीय विपणन फर्मों के खाते	2
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	
ऋण सूचना	3
सूचना	
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक्सबीआरएल समर्थित ऑन-लाइन विवरणियाँ भरने की व्यवस्था उपलब्ध कराई	3
भारतीय रिज़र्व बैंक की अंतर-बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता - 2009-10	3
बेंचमार्क मूल उधार दर पर कार्यदल की रिपोर्ट	4

रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दरें

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर सहायता योजना के अंतर्गत वस्त्रोद्योग के साथ रेडीमेड गारमेंट को भी उन्हीं शर्तों पर 01 दिसंबर 2008 से 31 मार्च 2010 तक शामिल किया जाए। बैंकों को अपने सभी पात्र निर्यातकों को यह हितलाभ पहुँचाना चाहिए तथा 16 दिसंबर 2008 के रिज़र्व बैंक के परिपत्र में उल्लिखित निर्धारित प्रोफार्मा में अपने संशोधित दावे प्रस्तुत करने चाहिए।

अनर्जक आस्ति स्तरों की संगणना

भारतीय बैंक संघ के साथ परामर्श कर रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि -

क. किसी खाते के अनर्जक आस्ति (एनपीए) हो जाने पर, ऐसे खातों पर पहले ही लगाए गए ब्याज जो वसूल नहीं किया गया हो को लाभ-हानि खाते में नामे करते हुए प्रत्यावर्तित कर देना चाहिए तथा उस पर आगे ब्याज की संगणना नहीं करनी चाहिए। तथापि, बैंकों को कुछ बैंकों द्वारा वर्तमान में अपनाई जा रही प्रथा के अनुरूप अपनी बहियों के ज्ञापन खाता में इस प्रकार के उपचित ब्याज को दर्ज करना चाहिए।

ख. सकल अग्रिमों की संगणना के प्रयोजन से ज्ञापन खाते में दर्ज ब्याज को हिसाब में नहीं लिया जाना चाहिए।

फेमा

सेवा आयातकों की ओर से बैंक गारंटी जारी करना

बैंकों को 100,000 अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य राशि के लिए निवासी ग्राहक, जो सेवा आयातक है,की ओर से अनिवासी सेवा प्रदाता के पक्ष में गारंटी जारी करने की अनुमति दी गयी है। सेवाओं के आयात की प्रक्रिया को और उदार करने की दृष्टि से (सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी अथवा भारत सरकार/ राज्य सरकारों के किसी विभाग/उपक्रम के मामलों को छोड़कर) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों द्वारा गारंटी जारी करने के लिए सीमा में 100,000 अमरीकी डॉलर से 500,000 अमरीकी डॉलर तक वृध्दि की गई। तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को अब, निवासी ग्राहक जो कि सेवा आयातक है, की ओर से अनिवासी सेवा प्रदाता के पक्ष में 500,000 अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य राशि की बैंक गारंटी जारी करने की अनुमति प्रदान की गई है बशर्ते;

- प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक लेनदेन की वास्तविकता से संतुष्ट हो;
- प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक सामान्यतया सेवाओं के आयात के दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करना सुनिश्चित करता हो; और
- गारंटी किसी निवासी और अनिवासी के बीच करार से उत्पन्न होने वाली प्रत्यक्ष संविदागत देयता की जमानत हो।

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी अथवा भारत सरकार/राज्य सरकारों के किसी विभाग/ उपक्रम के मामले में,100,000 अमरीकी डॉलर अथवा उसकी समतुल्य राशि से अधिक राशि के लिए गारंटी जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

शहरी सहकारी बैंक

स्वामित्व प्रतिष्ठान के खाते - अपने ग्राहक को जानिए दिशानिर्देश -

रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) को सूचित किया है कि वे स्वामित्व प्रतिष्ठान के नाम खाते खोलने से पहले उन्हें निम्नलिखित दस्तावेजों की मांग करनी चाहिए तथा उनका सत्यापन करना चाहिए:

(i) मालिक की पहचान/पते का प्रमाण जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो सहित राशन कार्ड आदि (इनमें से कोई एक दस्तावेज प्राप्त करना चाहिए)।

(ii) नाम का प्रमाण, पता तथा प्रतिष्ठान की गतिविधियां जैसे पंजीकरण प्रमाणपत्र (पंजीकृत प्रतिष्ठान के मामले में), दूकान और संस्थान अधिनियम के अंतर्गत नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र / लाइसेंस, बिक्री और आयकर रिटर्न, सी एस टी / वि ए टी प्रमाणपत्र, पंजीकृत प्राधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस जैसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान , भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (इन्स्टीटयूट ऑफ कॉस्ट अकाऊंटट ऑफ इंडिया), भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, भारतीय चिकित्सा परिषद, अन्न और औषधि नियंत्रण प्राधिकारी आदि द्वारा जारी व्यवसाय प्रमाणपत्र (इनमें से कोई दो दस्तावेज प्राप्त करने चाहिए।) उक्त दस्तावेज़ स्वामित्त्व प्रतिष्ठान के नाम पर होने चाहिए।

उक्त दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ प्रतिलिपियों का सत्यापन किया जाए तथा बैंक को प्रमाणित प्रतियां अपने पास रखनी चाहिए। यह दिशानिर्देश सभी नये ग्राहकों पर लागू होंगे। विद्यमान ग्राहकों के खातों के संबंध में 31 दिसंबर 2009 के पहले उपर्युक्त औपचारिकता पूर्ण की जाए।

शहरी सहकारी बैंकों को आगे सूचित किया गया कि अन्य सावधानियां जैसे नये खोले गए खातों से बड़ी राशि के चेकों की वसूली और उसके बाद बड़ी राशि का आहरण, लेनदेन की निगरानी, जोखिम प्रबंधन, एफआइयू इंडिया को जानकारी देना आदि विद्यमान प्रणाली के अनुसार जारी रहेगा।

हाल ही में, शहरी सहकारी बैंकों द्वारा स्वामित्व प्रतिष्ठान खातों में कई धोखाघड़ी के मामले दर्ज किए गए हैं। धोखाधड़ी के मामले में अपनायी गई कार्यप्रणाली यह थी कि अन्य सुस्थापित संस्थान /कंपनी के जैसा नाम रखकर स्वामित्व प्रतिष्ठान का चालू खाता खोला जाता था। संस्थान / कंपनी के नाम जारी चेकों को चुराया जाता था तथा एक समान नाम वाले स्वामित्व प्रतिष्ठान के खातों के माध्यम से उन्हें वसूल किया जाता था। यह देखा गया है कि ऐसे मामलों में संबंधित बैंक द्वारा खाता खोलते समय मालिक/मालिकों की व्यक्तिगत पहचान का सत्यापन किया जाता था परंतु स्वामित्व प्रतिष्ठान की पहचान का सत्यापन नहीं किया जाता था।

बहुस्तरीय विपणन फर्मों के खाते

रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों को विपणन/व्यापार एजेंसियों के खाते खोलते समय सावधानी बरतने तथा 2 जुलाई 2008 और 15 दिसंबर 2004 के रिज़र्व बैंक के परिपत्रों में दिए गए अपने ग्राहक को जाने (केवाइसी) और धन शोधन निवारण (एएमएल) दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए सूचित किया।

ऐसे मामलों में जहाँ विपणन एजेंसियों, खुदरा व्यापारियों, निवेश फर्मों के नाम में पहले से ही खाते खोले गए है, शहरी सहकारी बैंकों को उनकी शीघ्र समीक्षा करनी चाहिए। जहाँ कहीं ऐसे फर्मों को बड़ी संख्या में चेक बुक जारी किए गए है, उनके मामलों में निम्नानुसार समीक्षा करने का निर्णय लेना चाहिए:

- क्या यह चेक बुक ग्राहकों के अनुरोध पर जारी किए गए है और क्या इस संबंध में आंतरिक प्रक्रियाओं का अनुपालन किया गया था।
- क्या चेक बुकों की मात्रा ग्राहकों की प्रोफाइल तथा उनके कारोबार परिचालन के उनके स्वरूप के अनुरूप है/इससे मेल खाता है।

जहां लेनदेन की मात्रा /ग्राहक का वर्णन स्पष्ट रूप से जारी किए गए चेक बुकों की संख्या उचित सिद्ध करता है ऐसे मामलों में भी फर्मों के परिचालन पर निरंतर निगरानी रखी जाए, विशेषत: यदि इन खातों में जमाराशि काफी संख्या में जमा की जाती हो तथा चेकों के माध्यम से काऊंटर पर या समाशोधन द्वारा छोटी राशि का आहरण किया जा रहा हो । ऐसे खाताधारकों के मामले में बैंक विशिष्ट मामले में खाताधारक से उनके द्वारा जारी उत्तरदिनांकित चेकों की संख्या तथा समग्र राशि की जानकारी मांगे। इस प्रकार एकत्रित जानकारी आंकड़ों का चयनित मामलों में विश्लेषण करें ताकि फर्मों द्वारा जमाराशि लेने की गतिविधि की संभाव्यता को हटाया जा सके । अगली संवीक्षा हेतु खाते चुनने के लिए

उत्तरदिनांकित चेकों का गट्ठा , राशि में समानता आदि इन आंकड़ों का पूर्व तिथियों को छोटी जमाराशियों के इस प्रकार के एक समान चेकों तथा एक समान राशि के चेकों के साथ विश्लेषण करे।

उक्त समीक्षा के दौरान पाए गए असामान्य परिचालन की रिज़र्व बैंक को तथा अन्य उचित प्राधिकार जैसे एफआइयु इंडिया, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नयी दिल्ली को तुरंत सूचित करना चाहिए।

रिज़र्व बैंक के ध्यान में यह आया है कि उपभोक्ता वस्तु तथा सेवाओं के लिए कार्यरत बहुस्तरीय मार्केटींग एजन्सीज (एमएलएम) अधिक ब्याज का वादा करते हुए जनता से बहुत बड़ी मात्रा में जमाराशि का संग्रह कर रहे हैं ।

कुछ फर्मों के प्रतिनिधियों ने देशभर में विविध स्थानों पर स्थित विभिन्न बैंकों की शाखाओं में खाते खोले हैं तथा इन खातों में अनगिनत जमाराशि एकत्रित की गयी हैं। फर्म तथा उनके प्रतिनिधियों ने अधिक ब्याज का वादा करके सामान्य जनता से निवेश /जमा योजना के नाम पर निधि जमा की हैं। यह राशि करोड़ो में है और इसे एमएलएम फर्म के मूल खाते में जमा किया जा रहा है तथा इसका उपयोग अवैध या जोखिम भरे प्रयोजन के लिए किया जा रहा हैं।

इन फर्मों ने बैंकों से बहुत बड़ी संख्या में चेक बुकों को जारी किए जाने की व्यवस्था की है तथा यह चेक जमाकर्ताओं को भावी देय ब्याज तथा जमाराशि के भुगतान के लिए जारी किए गए हैं। जहां खाते खोले गए है उस स्थान से दूर एमएलएम के खाते में छोटे जमाकर्ता राशि जमा कर रहे थे और इन खातों को बैंकों द्वारा कोअर बैंकिंग सामधान की सुविधा दी गयी हैं। चूकिं फर्मों की गतिविधि तत्वत: जमाराशि एकत्रित करना तथा जमाराशि लौटाना है विद्यमान जमाराशियों को लौटाना निरंतर और अधिक मात्रा में नयी जमाराशियां मिलने पर निर्भर होगा। अत: किसी पड़ाव पर जमाराशि का प्रवाह अवरूद्ध होना निश्चित है और इसके बाद खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण उत्तर दिनांकित चेक की वसूली नहीं होगी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

ऋण सूचना

रिज़र्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को सूचित किया है कि उन्हें कम-से-कम एक ऋण सूचना कंपनी की सदस्यता लेनी होगी तथा ऋण सूचना कंपनी द्वारा निर्धारित प्रारु प में ऋण सूचना कंपनी को ऋण संबंधी डाटा (सकारात्मक और नकारात्मक) प्रस्तुत करना होगा। ऋण सूचना एकत्रीकरण और प्रकटन प्रणाली की सफलता बैंकों द्वारा ऋण सूचना कंपनियों को प्रदान की गई जानकारी पर निर्भर करेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया कि वे डेटाबेस तैयार करने के लिए तुंरत आवश्यक उपाय करें तथा समय गंवाए बिना ऋण सूचना के कारगर अदान-प्रदान के लिए ससज्ज रहें।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ध्यान ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की निम्नलिखित उप धाराओं के उपबंधों की ओर भी केंद्रीत किया जाता है।

- ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 21 की उप-धारा (1) में यह व्यवस्था दी गई है कि किसी ऋण-दात्री संस्था से ऋण सुविधा की मंजूरी के लिए आवेदन करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी संस्था से ऋण सूचना कंपनी से प्राप्त ऋण सूचना की प्रति प्रदान क रने का अनुरोध कर सकता है।
- धारा 21 की उप-धारा (2) यह भी निर्दिष्ट करती है कि प्रत्येक ऋणदात्री संस्था उप-धारा (1) में बताए गए अनुसार अनुरोध प्राप्त होने पर, विनियमावली के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट प्रभारों के भुगतान के अधीन ऐसे व्यक्ति को ऋण सूचना की प्रति प्रदान करेगी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि रिज़र्व बैंक ने उक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई ऋण सूचना कंपनी विनियमावली 2006 के विनियमन 12(3) में इस प्रयोजन के लिए 50 रु पए का अधिकतम शुल्क पहले ही निर्धारित किया है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया कि वे ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम 2005 के उपबंधों के साथ-साथ उक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें

जैसा कि आप जानते हैं, ऋण सूचना कंपनीं (विनियमन) अधिनियम, 2005 दिनांक 14 दिसंबर 2006 से लागू हो गया है। अधिनियम की धारा 15 (1) के अनुसार प्रत्येक ऋणदात्री संस्था को अधिनियम के लागू होने से तीन माह की अवधि के अंदर या आवेदन करने पर रिज़र्व बैंक द्वारा बढ़ाई गई समय सीमा के अंदर कम से कम एक ऋण सूचना कंपनी का सदस्य बनना जरूरी है।

सूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक्सबीआरएल समर्थित ऑन-लाइन विवरणियाँ भरने की व्यवस्था उपलब्ध कराई

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जानकारी प्रस्तुत करने हेतु बैंकों के लिए ऑन-लाइन विवरणी फाइलिंग प्रणाली लागू की है। वित्तीय रिपोर्टिंग क्षेत्र में उभरते वैश्विक मानकों को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने बासेल II के दिशानिर्देशों के अनुसार विकसित विनियामक विवरणियों को रिपोर्ट (आरसीए2) करने के लिए एक्सेंटिबल बिज़नेस रिपोर्टिंग लॅग्वेज (एक्सबीआरएल) को अपनाया है।

बैंकों को हाईपर लिंक के माध्यम से ओआरएफएस/एक्सबीआरएल विवरणियाँ प्रस्तुत करने की सुविधा उपलब्ध कराने के अतिरिक्त ओआरएफएस पृष्ठ पर बैंकों और अन्य शेयर धारकों के लिए एक्सबीआरएल के क्षेत्र में वर्तमान गतिविधियों पर उपयोगी जानकारी का वर्गीकरण भी उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान में, बैंक इलेक्ट्रॉनिक स्वरू प में तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की सुरक्षित वेबसाइट के माध्यम से भी विवरणियाँ फाइल कर सकते हैं और अब से वे एक्सबीआरएल समर्थित ऑन-लाइन विवरणियाँ भरने की व्यवस्था के माध्यम से भी विवरणियाँ भर सकते हैं। वे भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर 'बैंकरों के लिए' लिंक के माध्यम से भी ऑन-लाइन विवरणियाँ भर सकते हैं। 'बैंकरों के लिए' लिंक में 'ऑन-लाइन रिपोर्टिंग' का एक नया पृष्ठ उपलब्ध कराया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक वार्षिक और त्रैमासिक वित्तीय विवरणों सहित अन्य कई विवरणियों के लिए वर्गीकरण अपनाने की प्रक्रिया में है।

भारतीय रिज़र्व बैंक की अंतर-बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता - 2009-10

बैंकिंग विषयों पर हिंदी में मौलिक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए रिज़र्व बैंक प्रतिवर्ष अंतर-बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता आयोजित करता है। वर्ष 2009-10 की प्रतियोगिता के लिए विषय घोषित किए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं:

	भाषिक समूह	**विषय**
समूह 'क'	मातृभाषा : हिंदी	जोखिम और बैंकिंग कारोबार
समूह 'ख'	मातृभाषा: मराठी, पंजाबी और गुजराती	वित्तीय वैश्वीकरण: समारात्मक एवं नकारात्मक पक्ष
समूह 'ग'	मातृभाषा : उपर्युक्त समूह 'क' और समूह 'ख' में शामिल भाषाओं को छोड़कर	मानव संसाधन प्रबंधन : संगठन का एक मज़बूत स्तंभ

बैंकों से अनुरोध है कि अपने आंतरिक प्रकाशनों तथा अपनी वेबसाइटों पर संबंधित जानकारी प्रकाशित करके अपने कर्मचारियों के बीच निबंध प्रतियोगिता का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। प्रविष्टियाँ प्राप्त करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2009 है। प्रतियोगिता का विस्तृत विवरण बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in के हिंदी खण्ड पर उपलब्ध कराया गया है।

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या **MR/Tech/WPP-208/South/09-11** **Regd. No. MH/MR/South-29/2009-11**
प्रत्येक महीने कार्य दिवस के अंतिम दो दिन को मुंबई पत्रिका चॅनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित

बेंचमार्क मूल उधार दर पर कार्यदल की रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 20 अक्टूबर 2009 को बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) पर कार्यदल की रिपोर्ट जारी की। बेंचमार्क मूल उधार दर पर कार्यदल (अध्यक्ष: श्री दीपक मोहंती) का गठन बेंचमार्क मूल उधार दर प्रणाली की समीक्षा करने तथा ऋण मूल्य-निर्धारण को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए वर्ष 2009-2010 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुपालन में किया गया था।

इस कार्यदल की मुख्य अनुशंसाएँ हैं: -

- बहुत समय तक जिस तरीके से बेंचमार्क मूल उधार दर प्रणाली विकसित हुई है इस पर कई चिंताएँ प्रकट की गई हैं। इनका संबंध उप-बेंचमार्क मूल उधार दर की भारी मात्रा, पारदर्शिता का अभाव, बेंचमार्क मूल उधार दरों की अवनतिशील प्रवृत्ति और ऋण में सभी प्रकार की आर्थिक सहायता से है। कार्यदल का विचार था कि जब तक प्रणाली को संशोधित और / अथवा किसी अन्य प्रणाली से बदला नहीं जाता है, बाजार में बड़े पैमाने पर उप-बेंचमार्क मूल उधार दर की दरों पर ऋण देने की प्रवृत्ति पारदर्शिता पर सवाल उठने के साथ जारी रहेगी। कार्यदल ने यह उल्लेख भी किया है कि प्रतिस्पर्धी दबावों के कारण बैंक उन दरों पर अपने संविभाग के एक हिस्से को ऋण के रूप में दे रहे हैं जिसका कोई बहुत अधिक वाणिज्यिक मतलब नहीं है।
- विभिन्न संभावित विकल्पों, उद्योग संघों से स्टेकधारकों और आम जनता तथा अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहारों की सावधानी से जाँच करने के बाद कार्यदल ने निष्कर्ष दिया कि बेंचमार्क मूल उधार पर प्रणाली को हटाकर आधार दर की एक प्रणाली लागू करने में गुणवत्ता है।
- प्रस्तावित आधार दर में वे सभी लागत तत्व शामिल होंगे जिनकी स्पष्ट रूप से पहचान की जा सके तथा जो सम्पूर्ण उधारकर्ताओं में सामान्य रूप से प्रचलित हैं। आधार दर के संघटकों में (i) एक वर्षीय परिपक्वता वाली (चालू खाता और बचत खाता जमाराशियों के लिए समायोजित) खुदरा जमाराशियों (15 लाख रूपये से कम की जमाराशियों) पर कार्ड ब्याज दर; (ii) आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के संबंध में नकारात्मक निरंतरता के लिए समायोजन; (iii) बैंकों के लिए उपरिव्यय लागत जिसमें उपरिव्यय लागत तत्वों का एक न्यूनतम सेट शामिल रहेगा; और (iv) निवल संपत्ति पर औसत प्रतिलाभ शामिल हैं।
- उधारकर्ताओं को प्रभारित वास्तविक उधार दर आधार दर, के साथ उधारकर्ता- विशिष्ट प्रभार होगी जिसमें उत्पाद-विशिष्ट परिचालन लागतें, ऋण जोखिम प्रीमियम और समयावधि प्रीमियम में शामिल होगी।
- उधार दरों को रिज़र्व बैंक की नीति दरों का प्रतिनिधि बनाने के लिए कार्यदल ने अनुशंसा की है कि बैंक अपने बोर्डों के अनुमोदन से किसी कैलेण्डर तिमाही में कम-से-कम एक बार अपने आधार दर की समीक्षा और घोषणा कर सकते हैं। वास्तविक न्यूनतम और अधिकतम उधार दरों के साथ-साथ आधार दर को वेबसाइट पर डाला जा सकता है।
- आधार दर की प्रस्तावित प्रणाली के साथ बैंकों को आधार दर से कम पर उधार देने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि यह केवल न्यूनतम दर का प्रतिनिधित्व करता है जिससे कम दर पर उधार देना बैंकों के लिए व्यवहार्य नहीं होगा। तथापि, कार्यदल ने उन कतिपय स्थितियों की पहचान की है जब आधार दर से कम पर उधार देना बाजार स्थितियों द्वारा आवश्यक हो सकता है। कार्यदल का विचार है कि ऐसे उधार की आवश्यकता अपवाद के रूप में केवल अल्प-कालिक अवधियों के लिए उत्पन्न हो सकती है। तदनुसार, कार्यदल द्वारा अनुशंसित आधार दर एक वर्ष और उससे अधिक की परिपक्वता वाले ऋणों (सभी कार्यशील पूँजी ऋणों सहित) के लिए लागू होगी।
- बैंक आधार दर का संदर्भ दिए बिना स्थिर अथवा अस्थिर दरों पर एक वर्ष से कम के ऋण दे सकते हैं। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उप-उधार दर भारी मात्रा में उत्पन्न न हों, कार्यदल अनुशंसा करता है कि किसी वित्तीय वर्ष में प्राथमिकताप्राप्त और गैर-प्राथमिकताप्राप्त दोनों क्षेत्रों में ऐसे उप-आधार दर उधार वित्तीय वर्ष के दौरान वृद्धिशील उधारों के 15 प्रतिशत से अधिक न हों। इनमें से गैर- प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उप-आधार दर उधार 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार किसी वित्तीय वर्ष के दौरान समग्र उप-आधार दर उधार उनके वृद्धिशील उधार के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और बैंक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को 15 प्रतिशत तक अपना समस्त उप-आधार दर उधार देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
- वर्तमान में बेंचमार्क मूल उधार दर का संदर्भ दिए बिना ऋणों की कम-से-कम दस श्रेणियों का मूल्य-निर्धारण किया जा सकता है। दल अनुशंसा करता है कि ऋणों की ऐसी श्रेणियों को (क) चयनित ऋण नियंत्रण से संबंधित ऋणों (ख) क्रेडिट कार्ड प्राप्तियाँ, (ग) बैंकों के अपने कर्मचारियों को ऋण, और (घ) विभेदक ब्याज दर (डीआरआइ) प्रणाली के अंतर्गत ऋणों पर ब्याज दरों को छोड़कर आधार दर से सहबद्ध किया जा सकता है।
- कार्यदल सुझाव देता है कि प्रस्तावित प्रणाली सभी नए ऋणों और उन पुराने ऋणों पर लागू होगी जो नवीकरण के लिए प्राप्त होते हैं। तथापि, यदि विद्यमान उधारकर्ता विद्यमान संविदा की समाप्ति के पहले इस नई प्रणाली की ओर आना चाहता है तो ऐसे मामलों में नई/संशोधित दर संरचना पर बैंक और उधारकर्ता द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत होना चाहिए।
- आधार दर अन्य बाह्य बाजार आधारित बेंचमार्क दरों के अलावा अस्थिर दर ऋण उत्पादों के लिए संदर्भ बेंचमार्क दर के रूप मे भी कार्य करेगी।
- छोटे उधारकर्ताओं को ऋण प्रवाह में वृद्धि के लिए दो लाख रूपए तक के ऋण हेतु लागू उधार दर को अविनियमित किया जाए क्योंकि अनुभव यह बताता है कि उधार दर विनियमन ने छोटे उधारकर्ताओं के लिए ऋण प्रवाह को कम किया है तथा इसने बेंचमार्क मूल उधार दरों को अवनतिशील लचीलापन प्रदान किया है। बैंक स्थिर अथवा अस्थिर दरों पर उधारकर्ताओं को ऋण देने के लिए स्वतंत्र होंगे जिसमें अन्य उधारकर्ताओं की तरह आधार दर और क्षेत्र-विशिष्ट परिचालन लागत, ऋण जोखिम प्रीमियम और अवधि प्रीमियम शामिल होगा।
- वर्तमान में 270 दिनों तक लदान-पूर्व रुपया निर्यात ऋण और 180 दिनों तक लदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर सीमा को बेंचमार्क मूल उधार दर में 2.5 प्रतिशत बिंदुओं की कमी करते हुए निर्धारित किया गया है। कार्यदल ने अनुशंसा की है कि रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर अलग -अलग बैंकों की आधार दर से अधिक नही होनी चाहिए।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित।

ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, संचार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।